राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 185

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

भारत में ला लीगा फुटबॉल के ब्रांड एंबेसडर बने रोहित शर्मा

>> 14

सरोकार

दिल का मर्ज दूर करेगा नींबू और संतरे का छिलका

प्रयागराज : नीबू व संतरे का रस निकाल कर जिस छिलके को आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं, बड़ा गुणकारी है। यह दिल के मर्ज के लिए कारगर दवा है। यह बात इलाहाबाद केंद्रीय विवि के जैव रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर एसआइ रिजवी के शोध में सामने आई है। (पेज-10)

जागरण विशेष

चाकू वाला रामपुर अब लकड़ी के लिए मशहूर

रामपुर : चाकू का जिक्र आते ही जेहन में रामपुर का नाम आ ही जाता है, लेकिन अब शहर को एक नई पहचान मिल रही है। यह नई पहचान लकड़ी कारोबार के रूप में है। इस समय रामपुर उत्तर प्रदेश में लकड़ी की सबसे बड़ी मंडी है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

विधायिका में एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण 10 साल बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने गुरुवार को पारित कर दिया। तमाम दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सर्वसम्मति से बिल को पारित किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पश्चिमी विक्षोभ का असर बारिश से कांपी दिल्ली

नई दिल्ली : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी और उत्तर भारत के राज्यों में बारिश ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पंजाब और हरियाणा में बारिश ने तापमान गिरा दिया है। दिल्ली में भी देर शाम कई जगहों पर बारिश हुई। ठंडी हवा भी चली, जिससे ठंड महसूस हुई। अधिकतम तापमान में बुधवार की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस की कमी आई है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

सरकार पर औद्योगिक उत्पादन, महंगाई दर की दोहरी मार

नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत तलाश कर रही सरकार को औद्योगिक उत्पादन और खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने निराश किया है। कारखानों के उत्पादन में अक्टूबर में 3.8 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है। यह तीसरा महीना है जब कारखानों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। वहीं, खुदरा महंगाई की दर नवंबर में 5.54 परसेंट पर पहुंच गई जो बीते तीन साल में सर्वाधिक है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ब्रेक्जिट का भविष्य तय करने को ब्रिटेन में उमड़े वोटर

लंदन : ब्रिटेन में गुरुवार को हुए ऐतिहासिक आम चुनाव में वोटरों ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। माना जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजों से ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव) का भविष्य तय होगा। ब्रिटेन में 2016 से ब्रेक्जिट के चलते सियासी गतिरोध बना हुआ है। इसी वजह से इस यूरोपीय देश में पांच साल के अंदर तीसरी बार आम चुनाव कराने की नौबत आई।

पहले ही दिन सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

राह साफ ▶ अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने सर्वसम्मत फैसले पर कायम

मंदिर के लिए जमीन देने व सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से जमीन देने पर फिर मुहर

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- पर अभी भी बचा है कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प
- कुल 19 पुनर्विचार याचिकाएं की गई थीं दायर, दस थीं मूल पक्षकारों की
- पांचों जज ने चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये किया विचार

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने गत नौ नवंबर के अपने फैसले पर पुनर्विचार मांगने वाली सभी याचिकाएं पहली ही सुनवाई में खारिज कर अपने फैसले में किसी भी बदलाव से इन्कार कर दिया है। इस तरह कोर्ट 2.77 एकड़ का विवादित स्थान मंदिर निर्माण के लिए देने और अयोध्या में ही कहीं और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के अपने फैसले पर कायम है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के बंद चैंबर में सभी 19 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि उन्होंने इन याचिकाओं पर गंभीरता से विचार किया और उनके साथ दाखिल किए गए दस्तावेज देखने के बाद उन्हें इन याचिकाओं पर फिर से विचार करने का कोई आधार नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कुल 19 पुनर्विचार याचिकाएं में से 10 याचिकाएं मूल पक्षकारों की ओर से दाखिल हुई थीं। इनमें जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना सैयद असद रसीदी, फारुक अहमद, मौलाना मुफ्ती हसबुल्लाह, मिसबहुद्दीन, हाजी महबूब अहमद, मौलाना महफुर्जुरहमान, हाजी असद अहमद, अखिल भारत हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और शिया सेंट्रल बोर्ड की याचिकाएं थीं। इसके अलावा डॉ. मुहम्मद अयूब, तहरीक फारुक इस्लाम, अब्दुल अंसारी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बरीश कुमार, सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल लीग, प्रभात पटनायक (इनके साथ 39 और लोग याचिकाकर्ता थे) और दाल चंद कपिल की याचिकाएं भी खारिज हुईं जो कि मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। हालांकि पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद पक्षकारों के पास अभी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा है। मूल फैसला सुनाने वाली पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई शामिल थे। जस्टिस गोगोई के सेवानिवृत हो जाने के कारण पीठ में पांच न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना को पीठ में शामिल किया गया था।

चैंबल में न वकील होते हैं, न बहस : पांचों न्यायाधीशों ने चैंबर में सर्कुलेशन के जरिए पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक पुनर्विचार याचिकाओं पर मूल फैसला सुनाने वाली पीठ के न्यायाधीश चैंबर में ही विचार करते हैं। उस दौरान वहां वकील और बहस नहीं होती सिर्फ मुकदमे से जुड़ी फाइलें और रिकार्ड देखकर न्यायाधीश फैसला लेते हैं। इस दौरान अगर उन्हें जरूरी लगता है तो वे पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश देते हैं। अयोध्या के मामले में पांचों न्यायाधीशों ने चैंबर में विचार करने के बाद याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने की अर्जियां और पुनर्विचार याचिकाएं दोनों ही खारिज कर दीं और 9 नवंबर के फैसले पर फिर मुहर लगा दी है। मुकदमे के एक अहम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी जबकि हिंदू पक्ष की ओर से सिर्फ अखिल भारत हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फैसले का सीमित रिव्यू मांगा था।

यह था फैसला : गत 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने करीब पांच सौ साल से चले आ रहे अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। उस फैसले में कोर्ट ने राम जन्मभूमि का अंदरूनी और बाहरी अहाता ट्रस्ट या बोर्ड के जरिए मंदिर निर्माण के लिए देने का आदेश दिया था। जबकि गैर कानूनी ढंग से तोड़ी गई मस्जिद के बदले मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर अयोध्या में ही दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। यह फैसला पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मत से दिया था।

कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया था। साथ ही ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को शामिल करने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जमीन पर कब्जे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा सुबूतों को देखते हुए मुस्लिम पक्ष से ज्यादा मजबूत है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।

क्यूरेटिव याचिका पर ली जाएगी राय : जिलानी

लखनऊ : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने असुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार ही नहीं किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलानी ने कहा, 'अभी हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन से बात करेंगे। (पेज-7)

जेएनयू में छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा का किया बहिष्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : छात्रावास फीस वृद्धि के मुद्दे पर चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में गुरुवार से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गईं। आंदोलन कर रहे छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। उन पर परीक्षाओं में खलल डालने का भी आरोप लगा है।

बताया जा रहा है कि सिर्फ स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज की ही परीक्षा व्यवस्थित ढंग से हुई। इसमें एमए के प्रथम वर्ष के 45 और एमए दूसरे वर्ष के 45 छात्रों समेत एमफिल के 30 छात्र शामिल हुए। जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंस 1 एवं 2, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिट्रेचर एंड कल्चरल स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जैसे स्कूलों के गेट बंद रहे। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्र सुबह 9 बजे से ही यहां पहुंच गए और परीक्षाओं के संचालन में बाधा पहुंचाई। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से परीक्षाओं का बहिष्कार किया। किसी भी परीक्षा के संचालन में कोई बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन के कारण परीक्षा देने ही नहीं गए।

हालात सामान्य बनाने में जुटे कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवारों से भी बात की और परीक्षा में शामिल होने व प्रदर्शन खत्म करने का अनुरोध किया।

सीएबी पर असम में हिंसा, दो की मौत

- कर्फ्यू के बावजूद बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस को चलानी पड़ी गोली
- सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों को निशाना बना रहे हैं प्रदर्शनकारी

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को कर्फ्यू को नकारते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कई जगहों पर पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। पुलिस की गोली से दो लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की भी खबर है।

सीएबी यानी कैब को दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद से असम में हिंसा ने और जोर पकड़ लिया है। हालात संभालने के लिए सरकार ने कर्फ्यू का एलान किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। प्रदर्शनकारी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं। डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने एक बस अड्डे को आग के हवाले कर दिया। यहां के एसपी गौतम बोरा ने एक साथ कई जगहों पर हो रहे प्रदर्शन को संभालने के लिए चार से पांच हजार अतिरिक्त बल की जरूरत जताई है। छात्र संगठन आसू के आह्वान पर गुवाहाटी में लाताशिल खेल मैदान में बड़ी तादाद में लोग जुटे। फिल्म एवं संगीत जगत की कई हस्तियां भी इसमें शामिल हुईं। आसू का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कैब को लाकर असम के लोगों को धोखा दिया है। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया समेत 10 जिलों में इंटरनेट पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक, आरटीआइ कार्यकर्ता अखिल गोगोई को गिरफ्तार किया गया है।

विधायक का घर फूंका : डिब्रूगढ़ जिले में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के गृह क्षेत्र छाबुआ प्रदर्शनकारियों ने विधायक बिनोद हजारिका के घर पर आग लगा दी। वहां खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सर्किल ऑफिस को भी फूंक दिया। गुवाहाटी-शिलांग रोड पर क्रिश्चियन बस्ती क्षेत्र के निकट असम के पुलिस प्रमुख भास्कर ज्योति महंत के काफिले पर पत्थरबाजी भी हुई।

गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर हटाए गए : हालात काबू में लाने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ पुलिस में प्रशासनिक बदलाव भी किए हैं। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को हटाकर उनके स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीपी) मुकेश अग्रवाल को सीआइडी में भेज दिया गया है। उनकी जगह जीपी सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे। कुछ अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।

मेघालय, त्रिपुरा में भी इंटरनेट बंद : अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए मेघालय और त्रिपुरा में 48 घंटे के लिए इंटरनेट व एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। दोनों राज्यों से हिंसा की कोई बड़ी खबर नहीं आई है। इस बीच मेघालय को सीएबी से पूरी तरह बाहर रखने की मांग के साथ गृह मंत्री अमित शाह मिलने जा रहे राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा को मुलाकात टालनी पड़ी। बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने के लिए उनके मंत्रिमंडल सहयोगी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को मेघालय की राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकादमी का दौरा करने जाएंगे।

असम के डिब्रूगढ़ में गुरुवार को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जलाए गए टायर को बुझाते सुरक्षा बल। प्रेट्र

हर हाल में रखेंगे पूर्वोत्तर के हितों का ध्यान : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जारी हिंसा रोकने की अपील की है। मोदी ने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन विधेयक से उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पीएम ने धनबाद में एक रैली के दौरान कहा, 'अपने सेवक पर भरोसा रखें। आपकी पहचान और संस्कृति का पूरा मान-सम्मान रखा जाएगा। केंद्र सरकार पूरी तरह से असम समझौते की धारा-6 के अनुरूप ही असम के लोगों के संवैधानिक, राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आंच नहीं आएगी।' (पेज-5)

नागरिकता कानून संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली : नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक संसद से पास हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। केरल के दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह राजनीतिक पार्टी केरल में कांग्रेस का सहयोगी दल है। (पेज-5)

बिल पर बवाल ▶ पृष्ठ 5 और 6

असम-त्रिपुरा में हिंसक आंदोलन में विमान और ट्रेन सेवाएं ठप

बवाल करने वाले 250 लोगों पर मुकदमा

भारत की लिसिप्रिया ने जलवायु सम्मेलन में दुनिया को झकझोरा

लिसिप्रिया कंगुजम प्रेट्र

मैड्रिड : महज आठ साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली भारतीय लड़की लिसिप्रिया कंगुजम ने अपनी चिंताओं से दुनिया को झकझोरा है। मणिपुर की इस नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सीओपी-25 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से अपनी धरती और उन जैसे मासूमों के भविष्य को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की गुहार लगाई। लिसिप्रिया ने स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग की याद दिला दी जिसने हाल में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण बचाने के लिए एक यादगार भाषण दिया था। उसे पर्सन ऑफ द इयर का खिताब भी मिला है। (पेज-16)

हैदराबाद में हुए एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच

- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिरपुरकर की अध्यक्षता में बनाया तीन सदस्यीय आयोग
- छह महीने में जांच करके सौंपेगा रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हैदराबाद में दुष्कर्म और हत्या के चार आरोपितों की पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) में हुई मौत के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। आयोग मुठभेड़ की परिस्थितियों की जांच करके छह महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा।

जस्टिस वीएस सिरपुरकर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। जस्टिस सिरपुरकर के अलावा आयोग में अन्य सदस्य बांबे हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रेखा सुंदर बालडोटा और सीबीआइ के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन हैं। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ कांड पर सवाल उठाने और जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। हैदराबाद में 28 नवंबर की रात एक महिला पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर जला दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। छह दिसंबर को पुलिस चारों आरोपितों को जांच के लिए मौके पर लेकर गई थी।

पुलिस का कहना है कि आरोपितों ने पुलिस के हथियार छीनकर पुलिस पर हमला किया और भागने की कोशिश की। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें चारों आरोपित मारे गए। सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल कर पुलिस मुठभेड़ की जांच की मांग की गई है।

कोर्ट ने कहा-सच्चाई सामने आना जरूरी पेज>>3

एफ-16 विमान का गलत इस्तेमाल किए जाने पर अमेरिका ने पाक को फटकारा

- साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का लगाया आरोप
- भारत ने मार गिराया था पाकिस्तान का लड़ाकू विमान

वॉशिंगटन, एजेंसियां : अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान के गलत इस्तेमाल पर फटकार लगाई है। यूएस न्यूज ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से यह खबर दी है। वेबसाइट के अनुसार, इसी साल अगस्त में अमेरिकी विदेश विभाग में तत्कालीन शस्त्र नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की उपमंत्री एंड्रिया थॉम्पसन ने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को एक पत्र लिखा था। इसमें अमेरिका द्वारा दिए गए एफ-16 लड़ाकू विमान का गलत इस्तेमाल करने और साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था।

दोनों अधिकारियों के बीच यह पत्राचार फरवरी में भारत द्वारा एफ-16 जेट विमान मार गिराने के कुछ महीने बाद हुआ। पत्र में फरवरी की घटना का जिक्र नहीं है। 27 फरवरी को भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने राजौरी सेक्टर में भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन कर बमबारी की थी। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके कुछ देर बाद ही भारत ने एक एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया, जो पाकिस्तान की सीमा के तीन किलोमीटर अंदर जाकर गिरा। विमान के साथ एक पैराशूट को भी गिरते देखा गया। हालांकि, इसके पायलट का क्या हुआ, यह पता नहीं चला।

एक सूत्र के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान ने एफ-16 विमानों का इस्तेमाल किया, जिसमें अमेरिकी मिसाइलें लगी हुई थीं। पाकिस्तान के इस व्यवहार से यह हथियार किसी तीसरे पक्ष तक पहुंच सकता था, जिससे साझा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लड़ाकू विमान समझौता इन शर्तों के साथ हुआ था कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल आतंकियों के साथ लड़ाई में करेगा। किसी अन्य देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझौते में यह शर्त भी है कि पाकिस्तान अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल मुशाफ और शाहबाज एयर फोर्स बेस से ही करेगा।

अमेरिका ने पाक को किया आगाह, हाफिज सईद मामले पर न्याय होता दिखे पेज>>13

कूटनीति

बांग्लादेश विदेश मंत्री मोमेन और गृहमंत्री खान ने रद की भारत यात्रा, भारत ने कहा, ढाका की मौजूदा सरकार नहीं कर रही अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न

नागरिकता बिल पर बांग्लादेश को मनाने में जुटा भारत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

बुधवार को संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पारित होने के बाद पड़ोसी देश तिलमिलाए हुए हैं। भारत के बेहद करीबी पड़ोसी मित्र बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन और गृह मंत्री असदुजमां खान ने अपनी भारत यात्रा रद कर दी। मोमेन गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन कुछ ही घंटे पहले भारत को इसे रद करने की सूचना दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश विदेश मंत्री को मनाने की कोशिश शुरू ही हुई थी कि यह सूचना आई कि गृह मंत्री खान ने भी शुक्रवार को मेघालय पहुंचने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। आधिकारिक तौर पर ढाका ने कहा है कि घरेलू स्तर पर व्यस्तता को देखते हुए यात्राएं रद की गई हैं। लेकिन बांग्लादेश के आधिकारिक सूत्रों ने यह बताने में कोई गुरेज नहीं किया है कि सीएबी पर चर्चा के दौरान बांग्लादेश की आंतरिक कानून एवं व्यवस्था पर नकारात्मक टिप्पणी से उनकी छवि का नुकसान हुआ है।

बहरहाल, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व में बंग बंधु मुजीबुर्रहमान के कार्यकाल में या मौजूदा पीएम शेख हसीना के कार्यकाल में वहां अल्पसंख्यकों का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में साफ कहा है कि 'मौजूदा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रख रही है। वह उनके लिए तमाम सुविधाएं दे रही है, लेकिन पहले वहां धार्मिक उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मोमेन की यात्रा रद होने को संसद में पारित सीएबी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।'

इसके बावजूद ढाका से जो खबरें आ रही हैं वह बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी। विदेश मंत्री मोमन ने वहां कहा है, 'भारत के भीतर बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हें खुद ही उनसे लड़ना चाहिए। इससे हमें कोई चिंता नहीं है। एक मित्र देश होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रिश्तों पर कोई असर हो।'

गृह मंत्री खान को शिलांग में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े एक न्यास की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। वैसे उन्हें सड़क मार्ग से मेघालय की राजधानी पहुंचना था और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अपनी तीन दिवसीय यात्रा रद की है। सनद रहे कि बांग्लादेश संभवतः अभी दक्षिण एशिया में भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र देश है। सितंबर, 2019 में न्यूयार्क में पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम शेख हसीना के बीच मुलाकात में दोनों नेताओं ने मौजूदा रिश्ते को द्विपक्षीय रिश्ते के सबसे सुनहरे कार्यकाल के तौर पर परिभाषित किया था। तब हसीना ने सीएबी और एनआरसी का मुद्दा उठाया था और बाद में उन्होंने कहा भी था कि मोदी ने आश्वस्त किया है कि इन विधेयकों का बांग्लादेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हसीना दोबारा 2008 में पीएम बनी और तभी से दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते प्रगाढ़ होने लगे हैं। पिछले 11 वर्षों में यह पहला मौका है जब रिश्तों में कुछ खटास आई है।

साउथ ब्लॉक यानी विदेश मंत्रालय ने ढाका से आईं खबरों को गंभीरता से लिया है। फाइल

इमरान को भारत ने दिखाया आईना

नई दिल्ली : पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी आदत के मुताबिक कैब के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं छोड़ा है। गुरुवार को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक के बाद एक तीन तल्खी भरे संदेश पीएम खान की तरफ से डाले गए। पाक पीएम ने भारत सरकार की तुलना जर्मनी के नाजी शासन से की है तो भारत से उन्हें जवाब मिला कि अपने यहां के कानून देखें। (पेज-5)

बेटी पैदा होने पर ससुराल से निकाली गई बहू पढ़-लिखकर बनी जज

अंकिता भारद्वाज, पटना

जिस बहू को ससुरालवालों ने उसके सांवले रंग को लेकर ताने मारे और बेटी पैदा होते ही घर से निकाल दिया, वही बहू ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास कर जज बन गई है। संघर्ष और मजबूत हौसलों की यह कहानी पटना की वंदना मधुकर (34) की है। ससुराल से निकाले जाने के बाद वंदना ने नौकरी करते हुए बेटी को पाला और पढ़ाई भी जारी रखी। मां-बाप के साथ पूरा मुहल्ला वंदना की सफलता से गदगद है।

वंदना का मायका मोकामा में है। उनका विवाह 2015 में पटना में हुआ। जब उनकी शादी हुई थी तो वह मोकामा में ही नियोजित शिक्षक के तौर पर काम करती थीं। शादी के बाद उन्होंने पटना में ही आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव का पद संभाला। इसके बाद से ही घर में कलह बढ़ गई। ससुराल वाले और पति वंदना को पूरी सेलरी घर में देने के लिए कहते थे। वंदना बताती हैं कि शादी के एक साल बाद मई, 2016 में बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद ससुराल वाले उनके सांवले रंग के साथ लड़की जन्म के लिए भी ताने देने लगे। उनका कहना था कि अगली बार गर्भवती होने पर वंदना को चेक अप कराना होगा और लड़की हुई तो गर्भपात कराना होगा। प्रताड़ना से तंग आकर वंदना 20 दिन की बेटी को लेकर मायके मोकामा चली आईं। वंदना का कहना है कि जब वह परेशानी के दौर से गुजर रही थीं, तब ही उन्हें बाढ़ कोर्ट के अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा ने जज की परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया।

अपनी बेटी के साथ वंदना मधुकर। फाइल फोटो

पटना वंदना मधुकर ने पास की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा